17/4/26	पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई उपा- फड ३५ न पाड वाहि [illegible] जिस पावास हो चिस्कृत रिपोर्ट शामिल जिस जावे जिस्ते जारी हो नंबर से कट हो रिपोर्ट मुताबिक जावे।

GCMS 2022/247

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 203/2022 GCMS:- 2022/247 दायर दिनांक : 27.07.2022

उदराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा बीरमाना, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 17.04.2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पक्षकार के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया मुख्य तथ्य विचारण इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3 नया 3 पुराना के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 सालम में 5.819 है. कमाण्ड रकबा खातेदारी दर्ज दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबंदी से साबित है जिसका वादी खातेदार अंकित काश्तकार है व पूर्ण भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, वादी की उपरोक्त अंकित भूमि में किसी प्रकार का खाला/रास्ता गैर मुमकिन के रूप में दर्ज नहीं है, वादी पूर्ण भूमि पर बतौर अंकन खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 कालूराम की भूमि चक 9 एम.सी. के प.न. 178/22 व प.न. 178/30 में कुल 5.313 है. भूमि खातेदारी दर्ज है जो कि जमाबंदी से साबित है प्रतिवादी सं. 1 की चक 9 एम.सी. में प.न. 178/21 में कोई भूमि नहीं है प.न. 178/21 में प्रतिवादी सं. 1 को भूमि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं किन्तु प्रतिवादी सं. 1 चक 9 एम.सी. के प.न. 178/21 कि.न. 16 व 25 में जबरन प्रवेश कर 2-2 बिस्वा भूमि रास्ते की बताकर अतिचार करने को आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादी चक 9 एम.सी. के प.न.

क्रमशः पेज 2 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

178/21 कि.न. 2 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 5.819 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार है मौका पर कब्जा काश्त है प्रतिवादी सं. 1 को इस भूमि के किसी भी हिस्से में प्रवेश का अधिकार नहीं इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को अन्तर्गत धारा 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की गई कि वे वादी के नाम से तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3 नया 3 पुराना के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 सालम कुल 5.819 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि में ना तो स्वयं प्रवेश करे ना ही किसी अन्य व्यक्ति से प्रवेश करावें।

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया उनके खिलाफ दिनांक 03.11.2023 को इकतरफा सुनवाई के आदेश पारित किये गये इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 भी उपस्थित नहीं आया व उनके खिलाफ भी इकतरफा के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण सं. 2 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद किया गया व निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वाके चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3 का प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 की कुल 5.819 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी खातेदार कृषक है?

.....वादी

2. आया वादी खिलाफ प्रतिवादी वाद अन्तर्गत भूमि की बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पाबंद करवाने का अधिकारी है, प्रतिवादी वादी के कब्जा में मदाखलत बेजा नहीं करें?

.....वादी

तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य लिये गये वादी उदराम ने शपथ पत्र पर अपने बयान अंकित कराये जिसमें उन्होनें वाद के कथनों की पुष्टि की व शपथ पर बयान दिये कि प्रतिवादी न. 1 वादी की भूमि चक 9 एम.सी. के प.न. 178/21 का कि.न. 16 व 25 में जबरन प्रवेश करेंगें इसी धमकी से व्यथित होकर उदराम ने दावा प्रस्तुत किया है उक्त भूमि पर वादी का पूर्ण कब्जा है उसकी [illegible] रने का बजरिये अदालत उसे पूर्ण अधिकार है वादी [illegible] किया गया है और मौका पर उसका पूर्ण कब्जा आपनी भूमि [illegible] होने का कथन किया व जमाबंदी पर प्रदर्श भी लगवाई। प्रतिवादी [illegible] की ओर से ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया व ना ही उपस्थित आये, साक्ष्य लिये जाने के बाद तर्क सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 3 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 चक 9 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 3/3 के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 प्रत्येक 0.2530 है. कमाण्ड कुल 5.8190 है. कमाण्ड भूमि वादी के नाम से अंकित है जो कि प्रदर्श EX-P 1 है इसी प्रकार प्रतिवादी की भूमि की ओर भी ध्यान दिलाया जो चक 9 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ सम्वत् 2074 ता 2077 खाता सं. 5/6 प.न. 178/22 कि.न. 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 में 0.2530 है. प्रत्येक कुल 3.2890 है. कमाण्ड व प.न. 178/29 में कि.न. 19 ता 22 में 0.2530 है. कमाण्ड प्रत्येक प.न. 178/30 में कि.न. 1, 2, 9, 10 में 0.2530 है. प्रत्येक अ.क. कुल भूमि 5.3130 है. क./अ.क. का अंकित खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का चक 9 एम.सी. प.न. 178/21 में कतई कोई रकबा नहीं है ना ही वादी की भूमि में कोई रास्ता अंकित है इसलिए प्रतिवादी वादी की भूमि चक 9 एम.सी. प.न. 178/21 में प्रवेश का कतई अधिकार नहीं रखता। वादी के अभिभाषक सम्बंधित विधि का अवलोकन कराया जिसके अनुसार प्रत्येक खातेदार कृषक कब्जाधारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने नाम से अंकित भूमि में अतिचार होने की आशंका की स्थिति में बजरिये अदालत आशंकित अतिचारी को अपनी भूमि में प्रवेश ना करे इस हेतू स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध आशंकित अतिचारी के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की गई कि वे वादग्रस्त भूमि में ना तो स्वयं प्रवेश करे व ना ही किसी से करावें। इसी अनुसार वाद स्वीकार व आदेशित कर डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई।

राज पैरोकार द्वारा राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद निर्णय किये जाने का कथन किया।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में पठन वा मनन किया गया विस्तृत विवेचन तनकीवार निम्न प्रकार से है:–

<u>**तनकी सं. 1**</u>: आया वाके चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3 का प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 की कुल 5.819 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी खातेदार कृषक है?

.....वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3/3 के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 सालम में 5.819 है. कमाण्ड रकबा खातेदारी की

क्रमशः पेज 4 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की है जिस पर प्रदर्श पी. 1 अंकित है इसके अनुसार वादी के नाम से चक 9 एम.सी. के प.न. 178/21 के कि.न. 3 ता 25 के प्रत्येक किला में 0.253 है. कुल 5.819 है. कमाण्ड भूमि बतौर खातेदार दर्ज कागजात है जो दस्तावेजी साक्ष्य है विपरीत में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है ना ही इस तथ्य को विवादित किया गया है ऐसी अवस्था में तनकी सं. 1 वादी द्वारा पूर्ण रूप से सिद्ध की गई है व वादी द्वारा शपथ पत्र से उक्त भूमि पर अपना कब्जा भी बताया है इसे भी प्रति शपथ पत्र से विवादित नहीं किया गया है इस अवस्था में तनकी सं. 1 संदेह से परे सिद्ध होती है और बहक वादी निर्णय की जाती है।

<u>**तनकी सं. 2:**</u> आया वादी खिलाफ प्रतिवादी वाद अन्तर्गत भूमि की बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पाबंद करवाने का अधिकारी है, प्रतिवादी वादी के कब्जा में मदाखलत बेजा नहीं करें?

.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, इस हेतू वादी द्वारा शपथ पत्र में कथन किया गया है कि वादी प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है और इसकी रक्षा करने का उसे कानूनन अधिकार है अन्य पक्षकारों द्वारा वादी के अधिकारों को शपथ पत्र के माध्यम से विवादित नहीं किया गया है। वादी के अभिभाषक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का अवलोकन करावाया गया जिसके अनुसार खातेदार काश्तकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा होने का अंदेशा होने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर अपने नाम से अंकित भूमि की बजरिये अदालत रक्षा करवाने का अधिकार रखता है, इसी अनुसार तनकी सं. 1 सिद्ध होने पर व सम्बंधित विधि के अवलोकन से तनकी सं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 व 2 बहक वादी निर्णय होने से वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 कालूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के नाम से अंकित खातेदारी भूमि चक 9 एम.सी. के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 की कुल 5.819 हे. कमाण्ड भूमि में किसी प्रकार का अतिचार ना करे और ना ही उसकी भूमि में प्रवेश करे ना करावें, इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीष एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

उदराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......**वादी**

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा बीरमाना, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.......**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए. 1955 मुकदमा न. 203 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 कालूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के नाम से अंकित खातेदारी भूमि चक 9 एम.सी. के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 की कुल 5.819 है. कमाण्ड भूमि में किसी प्रकार का अतिचार ना करे ओर ना ही उक्त भूमि में प्रवेश करे ना करावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.......×......... मुबलिग ....×......... बाबत ....×......... खर्चा ....×......... इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....×......... फसदों की पालना ....×......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.04..2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।